न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 39/2021
प्रकरण दर्ज तिथि :— 14.07.2021
जीसीएमएस नम्बर :— 2021/100

1. टी. जयराम पुत्र तेजाराम उम्र वयस्क जाति रीरवी निवारी खेड़ामामावास तहसील रायपुर
2. गणकी पत्नी जयराम उम्र वयस्क जाति रीरवी निवारी खेड़ामामावारा तहसील रायपुर वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. तेजाराम पुत्र शिवदान उम्र वयस्क
2. राजेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र मांगीलाल उम्र वयस्क
   समस्त जातियान कलाल, निवासियान खेड़ामामावारा रायपुर तहसील रायपुर
3. सुन्दरी देवी पत्नि मोहनलाल जाति रीरवी निवारी खेड़ामामावारा
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर (राज.)

दावा बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधिनियम

1 श्री चन्द्र दीप सिंह भाटी एवं श्री फिरोज खान वगैरह.वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण श्री कल्याण सिंह एवं श्री जसवंत सिंह अधिवक्ता उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 15.01.2024

वादी की ओर से वकील श्री फिरोज खान वगैरह द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, एवं 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि मौजा खेडामामावास पटवार हल्का गिरी भू अभिलेख निरीक्षक गिरी के खसरा नम्बर 808 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा, 809 रकबा 5.6899 चाही प्रथम, 810 रकब 0.3561 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, 811 रकबा 4.0145 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम की भूमि स्थित हैं। उपरोक्त वर्णित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 की खातेदारी आराजियात चली आ रही है तथा राजस्व अभिलेखों मे भी उपरोक्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के नाम ही अंकित चली आ रही है। उक्त तथ्य राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2074 से 2077 व अन्य जमाबंदियों से प्रमाणित है। उपरोक्त आराजियात में वादीगण का 1/6 — 1/6 हिस्सा विद्यमान चला आ रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी नंबर 1 का 1/3 व प्रतिवादी सं. 02 का 1/3 हिस्सा विद्यमान चला आ रहा है। वादीगण भी अपने उपरोक्त वर्णित हक हिस्से के अनुसार उपरोक्त आराजियात में संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादीगण का भी उपरोक्त समस्त आराजियात में संयुक्त रूप से हक, हिस्सा, कब्जा, काश्त, हित, अधिकार, स्वत्व, आधिपत्य, उपयोग, उपभोग अनवरत रूप से सभी प्रतिवादीगण की पूर्ण एवं पर्याप्त जानकारी में चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजियात आज दिवस तक संयुक्त ही चली आ रही है जिसका आज दिवस तक कोई बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हो रखा है जिसकी वजह से आये दिन वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के मध्य विवाद होते रहते है। इस कारण वादीगण उक्त आराजियात को संयुक्त नहीं रखना चाहते है तथा उक्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाकर अपना हक हिस्सा अलग करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा समय समय पर अपने हक हिस्से की आराजियात में काफी समय, श्रम एवं धन व्यय कर उक्त आराजियात में उच्च किस्म के खाद बीज डालकर उन्हे समतल कराकर काश्त योग्य

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

बनाया तथा उसमे काफी विकास एवं विस्तार किया है जिसकी वजह से उक्त आराजियात काफी उन्नत, उपजाऊ एवं कीमती हो चुकी है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षो से जमीन जायदादों की कीमतों मे हो रही बेशुमार वृद्धि की वजह से भी उक्त आराजियात की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है तथा उक्त आराजियात और अधिक कीमती हो चुकी है तथा प्रतिवादी सं. 01 व 02 और उनके परिवार के लोग आये दिन झगडा फसाद करते है और आये दिन रास्ता व कुएं से पानी लेने के लिये भी झगडा फसाद करते है। वादीगण द्वारा समय समय पर प्रतिवादी नंबर 1 व 2 से उपरोक्त आराजियात का विभाजन कराने हेतु मांग की गई तब प्रतिवादी सं. 01 व 02 ने ऐलानिया धमकी दी कि हम दोनो प्रतिवादीगण मिलकर तुम वादी का हक हिस्सा जिस खसरे में आता है उसको अन्यत्र बेचान कर देंगे तथा तुम्हारे हक हिस्से की जमीन हडप लेंगे। इसलिये प्रतिवादी नंबर 1 व 2 बदनियतिवश ही उपरोक्त आराजियात का विभाजन नहीं कर रहे है तथा टालमटोल ही करते चले आ रहे है। वादी ने दिनांक 12/07/2021 को भी प्रतिवादी नंबर 1 व 2 से उपरोक्त आराजियात का विभाजन कराकर वादीगण का हिस्सा अलग करवाने हेतु निवेदन किया। किंतु प्रतिवादी नंबर 1 व 2 ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तथा टालमटोल करते हुए टाल दिया। वादीगण ने पुनः दिनांक 13/07/2021 को प्रतिवादी नंबर 1 व 2 से उपरोक्त आराजियात का विभाजन कराते हुए वादीगण का हिस्सा अलग करवाने हेतु निवेदन किया। किंतु प्रतिवादी नंबर 1 व 2 ने विभाजन कराने से ही इंकार कर दिया। इस कारण इस वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। उक्त प्रकरण प्रतिवादी नंबर 8 के विरूद्ध भी प्रस्तुत किया गया है जिनके विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है किंतु मौजूदा प्रकरण केवलमात्र विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी तहसीलदार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस कारण नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु कोई कानूनी खामी ना रहे। इस हेतु नोटिस से छूट प्रदान किये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के विरूद्ध वाद के पद नंबर 1 मे वर्णित आराजियात के बंटवारे की डिक्री पारित फरमाई जाकर उक्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाया जाकर वाद पत्र के पद नंबर 1 में वादीगण का 1/6 – 1/6 हिस्सा अलग अलग किया जाकर वादीगण को बंटवारे के अनुसरण में उसके हिस्से मे आई आराजियात का मौके पर भी कब्जा दिलाया जावे तथा अलग खाता कायम करवाया जावे तथा अलग से लगान तय किया जावे तथा अलग से पासबुक जारी कर मौके पर अलग पाल डोल कायम करवाई जावे तथा तदनुसार राजस्व रेकार्ड भी दुरूस्त करवाया जावे तथा राजस्व मानचित्र तरमीम करवाया जावे तथा इस हेतु प्रतिवादी नंबर 3 को तहरीर जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए है। प्रतिवादीगण, की ओर से श्री कल्याण सिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा मय जबावदावा प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली हों। प्रार्थीया श्रीमति सुन्दरी देवी पत्नि मोहनलाल सीरवी जाति सीरवी निवासी खेडामामावास ने जरिये अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है, वादी अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये हैं एवं प्रार्थीया को बतौर प्रतिवादी बनाया जाकर संशोधित शीर्षक पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली हों। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर प्राथमिक डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी एवं प्रतिवादी की उक्त वाद पत्र पर बहस सुनी गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी माफिक रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने की प्राथमिक डिकी जारी करने हेतु सहमत हैं। उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात्

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र कमांक राजस्व/2023/1366 दिनांक 03.11.2023 के द्वारा प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जो निम्न हैं।

क स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टैयर	किस्म	लगान
1	गणकी पत्नि जयराम 1/2 टी. जयराम पुत्र तेजाराम 1/2 जाति सीरवी सा. देह खातेदार	809 810 811	1.8674 0.3561 1.1008	चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम	40.37 7.70 23.80
		3	3.324	चाही प्रथम	71.87
2	गणकी पत्नि जयराम 1/6 टी. जयराम पुत्र तेजाराम 1/6 जाति सीरवी तेजाराम पुत्र शिवदान 1/3 राजेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र मांगीलाल 1/3 जाति कलाल सा. देह खातेदार	808 809/3	0.0647 0.0845	गै. मु. बेरा चाही प्रथम	– 1.89
		2	0.1522	–	1.89
3	तेजाराम पुत्र शिवदान 1/2 राजेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र मांगीलाल 1/2 जाति कलाल सा. देह खातेदार	809/1 809/2 809/4	0.8094 0.8094 2.1162	चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम	17.50 17.50 45.75
		3	3.7350	चाही प्रथम	80.75
4	सुंदरी देवी पत्नि मोहनलाल जाति सीरवी सा. देह खातेदार रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गिरी	811/1	2.9137	चाही प्रथम	62.99

बंटवाड़ा प्रस्ताव का वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा अवलोकन किया गया। बहस द्वारा सुनी गई। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वकील वादी एवं प्रतिवादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा किये जाने हेतू निवेद किया है। अतः तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खेडामामावास पटवार हल्का गिरी के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :-

क्र स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टैयर	किस्म	लगान
1	गणकी पत्नि जयराम 1/2 टी. जयराम पुत्र तेजाराम 1/2 जाति सीरवी सा. देह खातेदार	809 810 811	1.8674 0.3561 1.1008	चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम	40.37 7.70 23.80
		3	3.324	चाही प्रथम	71.87
2	गणकी पत्नि जयराम 1/6 टी. जयराम पुत्र तेजाराम 1/6 जाति सीरवी तेजाराम पुत्र शिवदान 1/3 राजेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र मांगीलाल 1/3 जाति कलाल सा. देह खातेदार	808 809/3	0.0647 0.0845	गै. मु. बेरा चाही प्रथम	– 1.89
		2	0.1522	–	1.89
3	तेजाराम पुत्र शिवदान 1/2 राजेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र मांगीलाल 1/2 जाति कलाल सा. देह खातेदार	809/1 809/2 809/4	0.8094 0.8094 2.1162	चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम	17.50 17.50 45.75
		3	3.7350	चाही प्रथम	80.75
4	सुंदरी देवी पत्नि मोहनलाल जाति सीरवी सा. देह खातेदार रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गिरी	811/1	2.9137	चाही प्रथम	62.99

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेम्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 15.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अन्तिम डिक्री बमुकदमें इबतदाई
ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी
अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,बमुकाम — रायपुर जिला ब्यावर
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

1. टी. जयराम पुत्र तेजाराम उम्र वयस्क जाति सीरवी निवासी खेडामामावास तहसील रायपुर
2. गणकी पत्नी जयराम उम्र वयस्क जाति सीरवी निवासी खेडामामावास तहसील रायपुर वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. तेजाराम पुत्र शिवदान उम्र वयस्क
2. राजेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र मांगीलाल उम्र वयस्क
   समस्त जातियान कलाल, निवासियान खेडामामावास रायपुर तहसील रायपुर
3. सुन्दरी देवी पत्नि मोहनलाल जाति सीरवी निवासी खेडामामावास
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर (राज.)

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 'राज. काश्त. अधि.

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री चन्द्रदीप सिंह भाटी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण श्री जसवंत सिंह सांखला एवं श्री कल्याण सिंह अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खेडामामावास पटवार हल्का गिरी के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :—

क स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टैयर	किस्म	लगान
1	गणकी पत्नि जयराम 1/2 टी. जयराम पुत्र तेजाराम 1/2 जाति सीरवी सा. देह खातेदार	809 810 811	1.8674 0.3561 1.1008	चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम	40.37 7.70 23.80
		3	3.324	चाही प्रथम	71.87
2	गणकी पत्नि जयराम 1/6 टी. जयराम पुत्र तेजाराम 1/6 जाति सीरवी तेजाराम पुत्र शिवदान 1/3 राजेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र मांगीलाल 1/3 जाति कलाल सा. देह खातेदार	808 809/3	0.0647 0.0845	गै. मु. बेरा चाही प्रथम	— 1.89
		2	0.1522	—	1.89
3	तेजाराम पुत्र शिवदान 1/2	809/1	0.8094	चाही प्रथम	17.50

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

	राजेन्द्रकुमार दत्तक पुत्र मांगीलाल 1/2 जाति कलाल सा. देह खातेदार	809/2 809/4	0.8094 2.1162	चाही प्रथम चाही प्रथम	17.50 45.75
		3	3.7350	चाही प्रथम	80.75
4	सुंदरी देवी पत्नि मोहनलाल जाति रीरवी सा. देह खातेदार रहन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गिरी	811/1	2.9137	चाही प्रथम	62.99

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है।

मीज..................×.................मुबलिक...............×..............बाबत्............×............ खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... ×...............फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×.........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.01.2024 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	07	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	0	00
मुतफरिक	–	10	00	मीजान			
मीजान		19	00			04	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।